(08)

अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–35/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

62

पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा तेतुलिया थाना संख्या–298 अनाबादी खाता संख्या–117 दाग संख्या–316 रकबा रकबा–08 बीघा 05 कट्ठा 15 धूर किस्म–अनाबादी पोखर (पुष्करणी)** कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित दाग की भूमि का मौजा–तेतुलिया के राजस्व पंजी–।। **भोल्यूम संख्या–।।। पेज संख्या–28** में रउसुन अली व रूस्तम अली दीगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुशंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय से निर्गत नोटिश ज्ञापांक–**447**/रा0 दिनांक–04.07.2016 तदुपरान्त स्वदावे के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्गत द्वितीय नोटिश, जो अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में अब्दुल खालक एंव अन्य, जिन्होंने पंजी–।। रैयत के साथ स्वंय के रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया है, के द्वारा टंकित कारणपृच्छा समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित दाग की भूमि तत्कालीन जमींदार से बन्दोबस्ती स्वरूप प्राप्त हुई है तदुपरान्त सरकारी पंजी–।। में नाम दर्ज कराकर भोगदखलकार है परन्तु अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट नहीं होता है कि पंजी–।। रैयत के पक्ष में किस स्वत्व दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी कायम की गई है। पंजी–।। रैयत को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी उनके द्वारा कायम जमाबंदी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने की मंशा से वर्णित जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि जिसका किस्म–पोखर (पुष्करणी) है एंव जो गैर मजरूआ आम श्रेणी की है, भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् निराधार कायम की गई है जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। **अतः मौजा तेतुलिया थाना संख्या–298 अनाबादी खाता संख्या–117 दाग संख्या–316 रकबा रकबा–08 बीघा 05 कट्ठा 15 धूर किस्म–अनाबादी पोखर (पुष्करणी) भूमि का विपक्षी–सह–पंजी–।। रैयत रउसुन अली व रूस्तम अली दीगर के नाम मौजा–तेतुलिया के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–।।। पेज संख्या–28 में निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एंव संशोधित अंचल अधिकारी महेशपुर अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.08 11:43:30 +05:30
Location: 192.168.0.100

Scanned with CamScanner